इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 र

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 जनवरी 2013—माघ 4, शक 1934

सहकारिता विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. एफ 5-1-2012-पन्द्रह-1.—यत:, मध्यप्रदेश सरकार ने समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मंडल के कार्यकाल में उनके अपने-अपने कार्यकाल का अवसान होने की तारीख से, अधिसूचना क्र. एफ 5-1-2012-पन्द्रह-1 दिनांक 7 जुलाई 2012 द्वारा छह माह की कालाविध की वृद्धि की है.

और, यत:, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन कराना साध्य नहीं है अतएव, राज्य सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मंडल के कार्यकाल में तीन मास की और कालावधि की वृद्धि की जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7-क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मंडल के कार्यकाल में उनके अपने–अपने कार्यकाल का अवसान होने की तारीख से तीन मास की कालाविध की और वृद्धि करती है.

No. F 5-1-2012-XV-1.—Whereas, Government of Madhya Pradesh has extended the term of the Board of Directors of all District Central Co-operative Banks for a period of six months from the date of expiry of their respective terms by Notification No. F-5-1-2012-XV-1 dated 7th July, 2012.

AND, WHEREAS, it is not practicable to conduct the election of the District Central Co-operative Banks. Therefore, the State Government has decided that the term of the Board of Directors of all District Central Co-operative Banks should be further extended for a period of three months.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (7-AA) of Section 49 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government hereby, further extends the term of the Board of Directors of the all District Central Co-operative Banks for a period of three months from the date of expiry of their respective term.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, उपसचिव.